

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 46/2014/बूंदी.
(सम्बन्धित अपील संख्या - 2030/2008/बूंदी)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, बूंदी.

.....प्रार्थी.

बनाम

मैसर्स रामकिशोर नंदकिशोर, श्योपुरकलां (म.प्र.)

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/10/2017

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्-बूंदी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2030/2008/बूंदी में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.09.2013 में परिशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-चतुर्थ, बूंदी (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 19.10.91 को वाहन संख्या एम.पी.09/डी-6775 को चैक किये जाने पर वाहन में लदा माल श्योपुरकलां (म.प्र.) से इन्दौर (म.प्र.) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया, जिसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर राज्य की प्रवेश चैकपोस्ट की मोहर अंकित नहीं होने के कारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 22ए(7) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी के द्वारा शास्ति इस आधार पर अभास्त की गयी कि माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित किया जा रहा था, तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों को मिथ्या एवं व्यवहारी की करापवंचन की मंशा को प्रमाणित नहीं किया गया है, साथ ही दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति का आरोपण अविधिक है। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 18.09.2013 द्वारा अस्वीकार की गयी, जिसमें भी अपीलीय अधिकारी द्वारा लिये गये आधारों पर निर्णय पारित किया गया। कर बोर्ड के उक्त आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थी राजस्व द्वारा यह संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स के प्रकरण में यह

लगातार.....2


अवधारित किया गया है कि माल मालिक पर भी शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माल मालिक द्वारा चैकिंग की दिनांक को ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया था।

3. प्रार्थी राजस्व के संशोधन प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि माल का परिवहन श्योपुरकला (म.प्र.) से इन्दौर (म.प्र.) के लिये किया जा रहा था। माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया कि दस्तावेजों पर किसी भी वाणिज्यिक चैकपोस्ट की मोहर अंकित नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य कोई जांच किया जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि माल का परिवहन करापवंचन की मंशा से मिथ्या दस्तावेजों से किया जा रहा था अथवा माल राज्य से भरा गया हो या राज्य में खाली किया गया हो। अपीलीय अधिकारी एवं राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा भी सक्षम अधिकारी के आदेश इसी आधार पर अपास्त किये गये हैं कि माल का गमनागमन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था। दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर धारा 22ए(7) के तहत शास्ति का आरोपण नहीं किये जाने सम्बन्धी आधार एक अतिरिक्त आधार था, जिसे मुख्य आधार बनाते हुए कर बोर्ड द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है। कर बोर्ड द्वारा राजस्व की अपील^{का} अस्वीकार किये जाने का मुख्य आधार यह रहा है कि माल का गमनागमन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये किया जा रहा था एवं माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज वक्त चैकिंग सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2013 में किसी प्रकार की रिकॉर्ड से परिलक्षित भूल नहीं पायी जाती है। अतः प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

6. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य